न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 477/2017

1. विजय कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. भादर राम पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सौरभदीप पुत्र भादर राम जाति जाट निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. प्रदीप पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. संदीप पुत्र कृष्ण चन्द जाति जाट निवासी 18 जी.जी. गोविन्दपुरा, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. बाबत रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई — प्रर्थीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 16/10/17

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 18 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक 2 बिस्वा व मुरब्बा नंबर 45 के किला नमं. 5, 6, 15, प्रत्येक 2 बिस्वा कुल 16 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। आपसी सहमति अनुसार मुरब्बा नं. 45 के किला यनं. 15 जो कि संदीप पुत्र श्री कृष्णचन्द जाति जाट निवासी 18 जी.जी. के नाम से खातेदारी दर्ज है, जिसमे से 2 बिस्वा रास्ता व 5 बिस्वा विजय सिंह पुत्र रामप्रताप के हक में भूमि छोड़ रहा है व मुरब्बा नं. 28 किला नं. 22 जो कि प्रदीप पुत्र विजय सिंह जाति जाट निवासी 18 जी.जी. के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। जिसमे से 4 बिस्वा भूमि भारदराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी 18 जी.जी. के हक में छोड रहा है।

प्रार्थीगण ने चक 18 जी.जी के मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक 2 बिस्वा व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 5, 6, 15 प्रत्येक में 2 बिस्वा कुल 16 बिस्वा भूमि रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है तथा आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के विरूद्ध स्टेट के अलावा अन्य कोई पक्षकार नहीं हैं एवम् प्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर सहमति पत्र/राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको तस्दीक किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र/राजीनामा में कथन किया गया कि सौरभदीप पुत्र भादरराम उर्फ हीरालाल जाति जाट, भादरराम उर्फ हीरालाल पुत्र श्री रामप्रताप, प्रदीप पुत्र श्री विजयसिंह, विजय सिंह पुत्र श्री रामप्रताप, संदीप पुत्र श्री कृष्णचन्द कौम जाट निवासीयान 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) के हैं :–

1. प्रार्थीगण की वाके चक 18 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 28 व 45 में कृषि भूमि है और प्रार्थीगण मु0नं.28 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 5, 6, 15 में आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं। मु0नं0 28 के किला नम्बर 5 सौरभदीप पुत्र श्री भादरराम मु0नं0 28 कि किला नं0 6, 15, 16 भादराम उर्फ हीरालाल पुत्र श्री रामप्रताप, मु0नं0 28 का किला नं0 25 प्रदीप पुत्र श्री विजय सिंह और मु0.नं0 45 के किला नम्बर 5 पस्नदीप पुत्र श्री विजय सिंह, मु0नं0 45 के किला नम्बर 6 विजय सिंह पुत्र श्री रामप्रताप, मु0नं0 45 के किला न0 15 संदीप पुत्र श्री कृष्णचन्द के नाम दर्ज कारगजात जमाबन्दी है। प्रर्थीयान आपसी सहमति से मु0नं0 28 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मु0नं0 45 के किला न0 5, 6, 15 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 16 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते हैं।
2. प्रार्थीयान ने आपसी सहमति से संदीप पुत्र श्री कृष्णचन्द जाति जाट मु0नं0 45 के किला नं0 15 में से 2 बिस्वा भूमि रास्ता की छोडकर 5 बिस्वा भूमि उत्तर दिशा की तरफ विजय सिंह की भूमि से चिपती हुई विजय सिंह को देगा। विजय सिंह पुत्र श्री रामप्रताप मु0नं0 28 के किला नं0 22 में 4 बिस्वा भूमि पश्चिम दिशा की ओर किला नं.0 21 से चिपती हुई देगा और इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रास्ता स्वीकृत किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे। उक्त राजीनामा प्रार्थीगण ने अपनी सहमति से सोच समझ कर व रजामंदी से तहरीर करवाया है प्रार्थीगण उसमे पूर्ण रूप से सहमत है।

प्रार्थीगण ने सहमति पत्र/राजीनामा के साथ अपनी पहचान के प्रमाण बाबत फोटो प्रतियां पेश की जो निम्न प्रकार है :–

सौरभदीप पुत्र भादरराम आधार कार्ड क्रमांक 604537444391 की स्वयं की हस्ताक्षर युक्त फोटो प्रति, भादरराम पुत्र रामप्रताप आधार कार्ड क्रमांक 990300755706 की स्वयं की हस्ताक्षर युक्त फोटो प्रति, प्रदीप कुमार पुत्र विजय सिंह आधार कार्ड क्रमांक 617572056932 की स्वयं की हस्ताक्षर युक्त फोटो प्रति, विजय सिंह पुत्र रामप्रताप मतदाता पहचान पत्र क्रमांक KPQ/1314764 की स्वयं की हस्ताक्षर युक्त फोटो प्रति, संदीप कुमार पुत्र कृष्णचन्द आधार कार्ड क्रमांक 495218266397 की स्वयं की हस्ताक्षर युक्त फोटो प्रति पेश की।

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रर्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में रास्ता स्वीकृत करने व आपस में लेन–देन हेतु सहमत है। प्रार्थीगण के मध्य आपसी कोई विवाद नहीं है व राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चुँकि प्रकरण में प्रार्थीगण के मध्य सहमति/राजीनामा होनें से प्रथीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें सहमति प्रार्थना/राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार आदेश दिया जाकर प्रार्थना पत्र का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन किया।

अतः प्रार्थीगण में आपसी सहमति व राजीनामा के अनुसार वर्णित कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी हैं।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र आपसी सहमति व बरूए राजीनामा निम्नानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है :—

प्रार्थीगण सौरभदीप पुत्र भादरराम उर्फ हीरालाल जाति जाट, भादरराम उर्फ हीरालाल पुत्र श्री रामप्रताप, प्रदीप पुत्र श्री विजयसिंह, विजय सिंह पुत्र श्री रामप्रताप, संदीप पुत्र श्री कृष्णचन्द कौम जाट निवासीयान 18 जी.जी. गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) के हैं :—

प्रार्थीगण की वाके चक 18 जी.जी. के मुरब्बा नम्बर 28 व 45 में कृषि भूमि है और प्रार्थीगण मु0नं.28 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 व मुरब्बा नं. 45 के किला नं. 5, 6, 15 में आपसी सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। मु0नं0 28 के किला नम्बर 5 सौरभदीप पुत्र श्री भादरराम मु0नं0 28 कि किला नं0 6, 15, 16 भादराम उर्फ हीरालाल पुत्र श्री रामप्रताप, मु0नं0 28 का किला नं0 25 प्रदीप पुत्र श्री विजय सिंह और मु0.नं0 45 के किला नम्बर 5 प्रदीप पुत्र श्री विजय सिंह, मु0नं0 45 के किला नम्बर 6 विजय सिंह पुत्र श्री रामप्रताप, मु0नं0 45 के किला न0 15 संदीप पुत्र श्री कृष्णचन्द के नाम दर्ज कारगजात जमाबन्दी है। प्रर्थीयान की आपसी सहमति से मु0नं0 28 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 व मु0नं0 45 के किला न0 5, 6, 15 प्रत्येक में 2—2 बिस्वा कुल 16 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं।

प्रार्थीगण की आपसी सहमति से संदीप पुत्र श्री कृष्णचन्द जाति जाट मु0नं0 45 के किला नं0 15 में से 2 बिस्वा भूमि रास्ता की छोडकर 5 बिस्वा भूमि उत्तर दिशा की तरफ विजय सिंह की भूमि से चिपती हुई विजय सिंह को देगा। विजय सिंह पुत्र श्री रामप्रताप मु0नं0 28 के किला नं0 22 में 4 बिस्वा भूमि पश्चिम दिशा की ओर किला नं.0 21 से चिपती हुई देगा

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम करे।

निर्णय आज दिंनाक 16/10/17 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)